## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारीः– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

**प्रार्थना पत्र संख्याः– 110/2024**

जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) ।

....... प्रार्थी

**–:बनाम:–**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.......अप्रार्थी

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट ::–**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

1. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता — प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी

**–:: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 16/08/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 7 एल जी डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से चालू के खाता सं. 42/36 का प.न. 31/290 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 18 ता 20 की कुल 4.0480 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जिसके खाता में प्रार्थी का नाम जगदीपसिंह उर्फ जगजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजसथान है।

तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 9 एल जी डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से चालू के खाता सं. 65/51 का प.न. 25/299 मु.न. 42 कि.न. 11/4, 12/2, 13, 16 ता 23, 24/2, 25 व प.न. 26/292 मु.न. 21 कि.न. 9/2, 10, की कुल 3.2250 है. नहरी, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसके खाता में प्रार्थी का नाम जगजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजसथान है।

प्रार्थना पत्र की दफा 1 व 2 में वर्णित अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त कृषि भूमि के खातों में प्रार्थी अपना नाम जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी [illegible] भूमि पर बैंक से के सी सी बनवाने एंव प्रार्थी को कृषि भूमि पर मिलने वाली [illegible] उक्त [illegible] प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त होने के अभाव में परेशानी [illegible] नाम उक्त कृषि भूमि के खातों में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। [illegible] प्रार्थी का आधारकार्ड [illegible] आधारकार्ड व राशनकार्ड व ड्राईविन्ग लाईसेन्स की चित्र[illegible]यां सलग्न है। जिनमें [illegible] नाम जगदीपसिंह नक्षत्रसिंह सही अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को भू–धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थना पत्र में नुक्श ना रहे। अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से दुरूस्ति की जावे।

तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 7 एल जी डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से चालू के खाता सं. 42/36 का प.न. 31/290 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 11 ता 4, 15/1, 15/2, 18 ता 20 की कुल 4.0480 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जिसके खाता में प्रार्थी का नाम जगदीपसिंह उर्फ जगजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की दुरूस्ति की जावे। ख. यह कि वाके तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 9 एल जी डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से चालू के खाता सं. 65/51 का प.न. 25/299 मु.न. 42 कि.न. 11/4, 12/2, 13, 16 ता 23, 24/2, 25 व प.न. 26/292 मु.न. 21 कि.न. 9/2, 10, की कुल 3.2250 है. नहरी, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जिसके खाता में प्रार्थी का नाम जगजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की दुरूस्ति की जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी। उक्त अनवान के प्रकरण मे अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार पीलीबगर की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार है–यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा–1 मुताबिक रिवार्ड स्वीकार है प्रार्थना–पत्र की दफा–2 मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है प्रार्थना–पत्र की दफा–3 सिद्ध भार प्रार्थी हैं यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा–4 कानूनी हैं अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई दुरुस्ती के सम्बन्ध में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू–अभीलेख निरिक्षक के राजस्व रिकॉर्ड में पार्थी का नाम जगदीप सिंह किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सह काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**—:आदेश:—**

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली अवलोकन व संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। **तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल जी डब्ल्यू खाता सं. 42/36 का प.न. 31/290 मु.न. 24 कुल 4.0480 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जिसके खाता में प्रार्थी का नाम जगदीपसिंह उर्फ जगजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला है जिसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम जगदीपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला एवं चक 9 एल जी डब्ल्यू की खाता सं. 65/51 का प.न. 25/299 मु.न. 42 की कुल 3.2250 है. नहरी, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के [illegible] 3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जिसके खाता में प्रार्थी का [illegible] सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला [illegible] स्थान पर प्रार्थी का सही नाम जगदीपसिंह पुत्र [illegible] साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ किया जाता है ।** तह[illegible]दार पीलीबंगा, को दर्ज करने के आदेश फरमाये जाते है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:37 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:37 IST
Reason: SelfAttested